कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़– II (नोहर)

प्रसार शिक्षा निदेशालय

(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर)

क्रमॉक;– KVK/HHR/2023-24/74 दिनांकः 15/06/2023

खुली निविदा सूचना संख्या 74/2023–24

विषयः निविदा सूचना संख्या 74/2023–24 के अन्तर्गत खरीफ व रबी फसल की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु।

कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़– II (नोहर)फार्म पर वर्ष 2023–24 के लिए हिस्सा आधारित खरीफ व रबी फसल खेती करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रू 200.00 डी.डी.,बैंकर्स चैक अथवा नगद
2	निविदा संदर्भ	खरीफ (ग्वार, मूंग, बाजरा इत्यादि) व रबी (चना, सरसों इत्यादि.) फसलो की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु निविदा
3	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र–क और ख
4	अनुमानित लागत	4.00 लाख फसल उत्पादन मजदूरी लागत
5	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	16.06.2023 से 22.06.2023 सांय 3.00 बजे तक
6	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की तिथि	16.06.2023 से 22.06.2023 सांय 5.00 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि व समय	23.06.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे
8	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़– II (नोहर)
9	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ व रबी 2023-24
10	कुल खेती योग्य क्षेत्रफल	17.00 हैक्टर

निविदा फार्म शुल्क रू 200/–डी.डी., बैंकर्स चैक अथवा नगद कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़– II (नोहर)के नाम पर देय होगे। सफल निविदादाता को निविदा छुटने के तुरन्त बाद रू 8000/– अमानत राशि कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट http://rajuvasbikaner.org, एंव www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़– II (नोहर)
प्रसार शिक्षा निदेशालय
(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर)

खुली निविदा फार्म (क)

निविदा सूचना क्रमांकःकेवीके / नोहर / 2023–24/74 दिनांक 15/06/2023
योजना का नाम : खरीफ व रबी फसल 2023–24 हिस्सा आधारित खेती बजट हेडः रिवोल्विगं फंड

निविदादाता का नाम एवं पूरा पता	
निविदादाता का आधार न. एवं प्रति संलग्न करें।	
धरोहर राशि का विवरण	

निविदादाता / कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरणः

क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना / बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जोने वाला हिस्सा	

निविदा की शर्ते (ख):–

1.	निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क 200/–रू अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो डी.डी., बैंकर्स चैक अथवा नगद के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित फसल उत्पादन खर्च राशी रूपये 4 लाख का 2 प्रतिशंत) रूपये 8000/– कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी।
2	निविदादाता को रूपये 50/– के एफिडेविट पर यह लिखकर देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नही है।
3	किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।
4	निविदा में दी गई दरे अंकों व शब्दों में देवे। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगां
5	हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल एवं बोई जाने वाली फसलों का निर्धारण फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
6.	ट्रेक्टर को छोड़कर बाकि सभी कृषि यंत्रो जैसे डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाजर ड्रिलिंग कार्य, थ्रेसर आदि की व्यवस्था एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें।
7.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उरर्वक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी।
8.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें।
9.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें फार्म इंचार्ज व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

10.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय कृषि उपज मंडी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
11	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म इंचार्ज से सम्पर्क कर बताये अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।
12	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म इंचार्ज अथवा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
13	निराई गुड़ाई सभी फसलों में अनिवार्य रूप से समय पर करवानी होगी व खरपतवार अधिक होने पर निराई गुड़ाई का कार्य दुबारा भी करवाया जा सकता है।
14	बीज उत्पादित फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी दिन व रात में करनी होगी। अनुमानित हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।
15	सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर फार्म से लिये गये पाईप, नॉजल व अन्य कृषि उपकरण फार्म इंचार्ज को सम्भलवाकर कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र फार्म इंचार्ज से लेना होगा इसके बाद ही हिस्सा राशि का भुगतान होगा।
16	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा बताये अनुसार केन्द्र कमेटी के समक्ष तोलकर गोदाम में बोरियों की ढांग निविदादाता को लगानी होगी व कमेटी द्वारा उत्पादन में नमी प्रतिशत एवं अन्य खरपतवार बीज प्रतिशत निकालकर उत्पादन जमा किया जायेगा।
17	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा।
18	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
19	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा व नहीं करवाने की स्थिति में केन्द्र कमेटी की देखरेख अन्य मजदूरों से कार्य करवाने पर इस कार्य में लगी खर्च राशि निविदादाता के भुगतान से कटौती कर कार्य में लगे मजदूरों को भुगतान कर दिया जायेगा।
20	मोटर पम्प ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख व रखरखाव का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा व पाईप लाईन में कहीं भी पानी का रिसाव होने पर रिसाव रोकने का कार्य निविदादाता को करना होगा व फसल कटाई उपरान्त सभी पाईप लाईन ठीक कर सम्भलवानी होंगी।
21	मोटर पम्प के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
22	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा।
23	निविदादाता को निविदा मंजूर होने के बाद 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा फार्म से सम्बन्धित फार्म इंचार्ज/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केन्द्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है।
24	कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
25	विना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
26	अनुबन्ध के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को राजस्थान सरकार द्वारा पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक नियमों की अनुपालना संबंधित निविदादाता को स्वंय के स्तर पर करनी होगी। केन्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
27	किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र नोहर होगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर